

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3138

मंगलवार, 08 अगस्त, 2023/श्रावण 17, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

पीएसीसीएस के आंकड़े

+3138. श्री पी.सी. मोहन:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पीएसीसीएस) का आंकड़ा संकलित और एकत्रित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा सभी पीएसीसीएस के आंकड़ों को संकलित और सत्यापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार उक्त पीएसीसीएस को विनियमित करने की योजना बना रही है ताकि इनका दुरुपयोग नहीं हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): सहकारिता मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित कर रहा है। चरण-I के तहत, तीन सेक्टर यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), डेयरी और मत्स्य पालन की लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों की मैपिंग फरवरी, 2023 में पूरी हो चुकी है। चरण-II के तहत, राष्ट्रीय सहकारी समितियों व फेडरेशन का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। चरण-III के तहत, डेटाबेस को अन्य सभी क्षेत्रों में कार्यरत शेष सहकारी समितियों तक बढ़ाया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) द्वारा प्रकाशित भारतीय सहकारी आंदोलन की सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल-2018 के अनुसार, देश में राज्य-वार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ख): राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के तहत एकत्र किए गए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) सहित सभी सहकारी समितियों के डेटा को राज्य पंजीयक (RCS) के जिला पंजीयक कार्यालय की देखरेख में दर्ज और सत्यापित किया गया है।

(ग): वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सहकारी समितियां जिनका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 44 द्वारा शासित होती हैं और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय पंजीयक (CRCS) द्वारा केंद्रीय रूप से प्रशासित होती हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) सहित सहकारी समितियां, जिनका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित है, संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 द्वारा शासित होती हैं और संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य पंजीयक (RCS) द्वारा प्रशासित होती हैं।

अनुलग्नक

देश में राज्य-वार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की संख्या

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	पैक्स की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	51
2	आंध्र प्रदेश	2051
3	अरुणाचल प्रदेश	34
4	असम	766
5	बिहार	8463
6	चंडीगढ़	17
7	छत्तीसगढ़	1333
8	दिल्ली	0
9	गोवा	81
10	गुजरात	8484
11	हरियाणा	711
12	हिमाचल प्रदेश	2127
13	जम्मू और कश्मीर #	643
14	झारखंड	2345
15	कर्नाटक	5679
16	केरल	1647
17	लक्षद्वीप	19
18	मध्य प्रदेश	4457
19	महाराष्ट्र	21217
20	मणिपुर	223
21	मेघालय	179
22	मिजोरम	159
23	नागालैंड	1719
24	ओडिशा	2701
25	पुदुचेरी	53
26	पंजाब	3543
27	राजस्थान	6411
28	सिक्किम	176
29	तमिलनाडु	4511
30	तेलंगाना	798
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2
32	त्रिपुरा	268
33	उत्तर प्रदेश	8929
34	उत्तराखंड	759
35	पश्चिम बंगाल	7405
	कुल	97961

स्रोत: NCUI द्वारा प्रकाशित भारतीय सहकारी आंदोलन की सांख्यिकीय प्रोफाइल -2018

जम्मू और कश्मीर (UT) के आंकड़ों में लद्दाख (UT) के आंकड़े भी शामिल हैं
